

स्वामी अग्निवेश ने जीवनभर हिन्दुओं में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, छुआछूत; इस्लाम में बुर्का और अन्य पिछड़ी मान्यताओं और चर्च के पाखंडों की जमकर बखिया उधेड़ी है

तैश पोठवारी

स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले के बाद में सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों व राष्ट्रभक्तों को विजय उल्लास के साथ हमलावरों का महिमामंडन देख रहा हूँ। स्वामी अग्निवेश को हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों, आंतकवादियों नक्सलियों का एजेंट कहने के साथ साथ संस्कृति रक्षकों ने माँ बहन की गन्दी गालियों के साथ सोशल मीडिया में चेतवनी जारी कर दी है, वामियों—कांग्रेसियों का यही हथ्र होगा।

अभी आप स्वामी अग्निवेश को भूल जाइए, मैं आपको एक साधु की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दक्षिण के ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्याम वेपा राव की, जो बचपन से ही पढ़ने—लिखने और वाद विवाद में बहुत तेज थे। बाप की मृत्यु बचपन में ही हो गई। माँ और बड़ी बहन ने अभावों में बड़े लाडु—प्यार से पाला। उनका एक सपना था उसको एक बड़ा आदमी बनाने का।

साठ के दशक में जब बीए को भी एक बड़ी डिग्री माना जाता था, तब उसने एम.कॉम, एल.एल.बी की शिक्षा पूरी की और और कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उसकी अच्छी—खासी नौकरी लग गई और वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने लग गया। उसके बारे कहा जाने लगा कि वो जज बन बनने वाला है।

एक लड़की उसे पसंद करने लगी। घर में ब्याह—शादी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे, पर श्याम वेपा राव के मन में कुछ और ही चल रहा था उसने पूरी दुनिया के साहित्य, दर्शन, राजनीतिक और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद एकाएक संन्यास की घोषणा कर दी।

उसने कहा अन्याय, गरीबी, असमानता, छुआछूत, धर्म में पाखंड और महिला विरोधी दकियानूसी सोच के खिलाफ सोच लड़ना ही मेरा धर्म है। संन्यास के दौरान वो जात—पात, छुआछूत मिटाने, गरीब मजदूर के अधिकार, महिला और पुरुष अधिकारों की बात करता और घर घर भिक्षा मांग कर अपना अपना गुजारा करता।

उसने धर्म के नाम पर चले आ रहे पाखंड, कठमल्लावाद, महिला विरोधी, अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देने वाली पौराणिक मूर्खताओं को जनता के सामने नंगा कर दिया। उसने कुम्भ के मेले में हरिद्वार में जाकर पाखंड खंडनी पताका गाड़ दी और कहा गंगा या किसी नदी में डुबकी लगा लेने से कोई पापी पवित्र नहीं हो सकता। जिस धर्म में मात्र नदी में डुबकी लगा लेने से सारे पाप माफ हो जायें वो धर्म गलत है। जो समाज ऐसी मान्यताओं को मानेगा उस समाज में पाप घटने की बजाए बढ़ेगा। उसने सभी पोंगा पंडितों को कहा कि वो अपनी दुकानदारी के लिए कुम्भ के दौरान करोड़ों लोगों का मल मूत्र और दूसरी गंदगी गंगा में प्रवाहित कर गंगा को मैला न करें।

उसने हिन्दू व अन्य धर्मों में चली आ रही कुरीतियों का जमकर विरोध किया। 1987 में हिन्दू धर्म में सती प्रथा को जीवित करने की पुरजोर कोशिश हुई। 1987 में राजस्थान के देवराला में 18 साल की रूपकंवर जिसके पति की शादी के एक साल बाद मृत्यु हो गई थी और कोई संतान नहीं थी, उसके ससुराल वालों ने सम्पत्ति का बंटवारा न हो इसलिए उसे सती के नाम पर जलती चिता में डालकर ऊपर से लाठियों से दबा दिया। जलते हुए वो पूरी जोर से चीखी बचाओ, बचाओ।

उसकी चीख सुनकर चिता के चारों ओर खड़ी भीड़ एक पल को चौंकी, फिर सती मैया की जय के नारों के बीच उसने तड़प तड़पकर दम तोड़ दिया। पूरे देश के मंदिरों में सती मैया की जय जयकार होने लगी, उसके नाम पर मंदिर बनाने के लिए पंडों ने चंदा माँगना शुरू कर दिया। पूरे हिन्दू समाज में सिर्फ एक साधु इसके खिलाफ खड़ा हुआ और वो था श्याम वेपा राव। उसने इसे हत्या और अपराध कहा और इसका भंडाफोड़ करने वह पैदल सती विरोधी यात्रा लेकर देवराला की तरफ चल पड़ा।

उसे सभी पंडों, पुजारियों, हिन्दू धर्म के ठेकेदारों द्वारा हिन्दू धर्म का दुश्मन कहा। उसे धमकी दी गई, पीटने और जान से मारने की बात कही गई। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। यही श्याम वेपा राव थे अग्निवेश।

सती प्रथा के खिलाफ हिंदुवादी ठेकेदारों से अग्निवेश ने अकेले टक्कर ली। कोई भी उनकी इस मुहिम में उनके साथ नहीं आया। मगर अग्निवेश का संघर्ष और मेहनत रंग लाई, भारत सरकार ने पहली बार सती प्रथा के महिमामंडन को भी अपराध की श्रेणी में डाला। सती मैया के नाम पर दुकान बढ़ाने की तैयारी में हिन्दू धर्म के ठेकेदार और पोंगे पंडित हाथ मलते रह गए।

इसी श्याम वेपा राव को आज आप अग्निवेश के नाम से जानते हैं। अग्निवेश ने जीवनभर हिन्दुओं में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, छुआछूत, इस्लाम में बुर्का और अन्य पिछड़ी मान्यताओं और चर्च के पाखंडों की जमकर बखिया उधेड़ी है।

हिन्दू धर्म को कबीर की परम्परा जैसा एक आधुनिक सुधारक मिला, जिसने अपनी वैज्ञानिक सोच और धर्म में अंधविश्वास और दकियानूसी कट्टरवाद की पुरजोर खिलाफत की, जिसके कारण वे हमेशा से हिन्दू धर्म के खलनायक के रूप में मशहूर हो गए। यही नहीं जब उन्होंने आर्य समाज में धर्मगुरुओं से रोज के धार्मिक कर्म यज्ञ, उपदेश के अलावा दलितों, आदिवासियों, गरीब मजदूरों के बीच जाकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही, तो आर्य समाज में उनके खिलाफ बगावत हो गई, उनके खिलाफ कई गुट बन गए।

अग्निवेश ने आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। विधायक चुने गए और बाद में हरियाणा के शिक्षा मंत्री बने। उनके मंत्री रहने के दौरान उन्हें किसी ने फरीदाबाद की पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूर होने की जानकारी दी। उन्होंने जब यह जानकारी मुख्यमंत्री से साझा की तो तो मुख्यमंत्री ने चुप रहने को कहा। साथ में यह भी कहा कि चुप नहीं रहने की स्थिति में अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। अग्निवेश ने खदान मालिकों के पक्ष में सत्ता के इस रवैए के खिलाफ मंत्री पद और विधायकी से इस्तीफा दिया और फरीदाबाद की पत्थर खदानों में बंधुआ मुक्त मोर्चा की स्थापना की। फरीदाबाद की पत्थर खदानों से उन्होंने बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना शुरू किया और अब तक वे भारत के अलग अलग राज्यों से फेक्ट्रियों, ईट—भट्टों, खेतों से 176000 बंधुआ मजदूरों को छुड़ा चुके हैं।

ऐसे समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश के साथ भाजपा के संगठनों विद्यार्थी परिषद व भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जो व्यवहार किया, वह वाकई निंदनीय है।

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

'गौ-रक्षा इकाँनमी' में पहलू और रकबर खान का क़त्ल तय है!

अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में मोदी सरकार देश में विकास के आंकड़े गिना रही थी और पड़ोसी गुडगाँव में आयोजित धर्म संसद में भाजपा के भगवा संत, देश के हालात को बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए चिंताजनक बता रहे थे। हिंदुत्व की राजनीति में ऐसी विडम्बना नयी नहीं है। लेकिन इसी टक्कर की न्यायिक विडम्बना भी देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट के माँब लिंचिंग रोकने के सख्त निर्देश के समानांतर पड़ोस के ही एक दूसरे शहर अलवर में रकबर खान की माँब लिंचिंग होने दी गयी।

लगता है, अविश्वास प्रस्ताव पर खोखली बहस करती संसद की तरह, सुप्रीम कोर्ट की पहल भी लोकतान्त्रिक आशंकाओं को संतुष्ट नहीं कर सकेगी। हिंदुत्व के खौंटी पैरोकारों से अधिक कौन इसे जानेगा! उपरोक्त लिंचिंग परिघटना को गौ- राजनीति की सफलता और गौ-इकाँनमी की विफलता को मिली-जुली बानगी कहना गलत नहीं होगा। इस सन्दर्भ में योगी की टिप्पणी ने उक्त सफलता को ही रेखांकित किया, - 'गाय का महत्व मनुष्य जितना'; जबकि इन्द्रेक्ष कुमार के वक्तव्य में उक्त विफलता की झलक है, - 'बीफ खाना छोड़ो तो लिंचिंग रुक जायेगी'।

हुआ यह है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर गौ रक्षा की राजनीति तो जड़ जमा चुकी है लेकिन इसे व्यापक आधार देने में सक्षम गौ-इकाँनमी नहीं बनायी जा सकी। लिहाजा, गौ-इकाँनमी की जगह गौ-रक्षा इकाँनमी अपनी तरह से पाँव पसारने में लगी हुयी दिखेगी। परिणामस्वरूप, गाय का नाम लेकर मोदी राज में माँब लिंचिंग की करीब सौ घटनाएँ हो चुकी हैं। यहाँ तक कि, कुछ में गैर मुस्लिम भी शिकार बने हैं।

क्या अचरज भरा नहीं लगता, कितनी आसानी से राजस्थान सरकार ने मान लिया है कि रकबर की नृशंस मौत उसकी पुलिस की हिरासत में हुयी है! पहले डीजीपी ने और फिर स्वयं गृह मंत्री ने इसे स्वीकार किया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, तुरंत तो शायद ही कोई सरकार इस तरह से अपनी पुलिस की करतूत स्वीकारने आगे आती हो। अलवर के लिंच माँब संरक्षक कहे जाने वाले भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी पुलिस को कोसने का सरकारी नजरिया अपनाया। निश्चित ही उन्हें गौ-रक्षकों के आर्थिक हितों की फिक्र है।

नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के माँब लिंचिंग को लेकर राज्य सरकारों को जारी दिशा निर्देश का असर देखना, गौ-रक्षक इकाँनमी के असर को कम करके आँकना होगा। दरअसल, गौ रक्षक घटना स्थल पर रकबर को पीट कर और पुलिस उसे एक गौ तस्कर के रूप में थाने ले जाकर अपनी समझ में रूटीन भूमिका ही निभा रहे थे। वह मर जाएगा, इससे बेखबर। मौके पर पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस एएसआई के 'पश्चाताप' का यही मतलब तो रहा होगा जब उसने माना कि 'गलती हो गयी'।

सफल राजनीति को भी असफल इकाँनमी ज्यादा दूर तक नहीं ढो सकती। अलवर क्षेत्र में किसी सड़क पर निकल जाइए, गाँव या कस्बे की ही नहीं शहर की भी, आवारा गौ वंश मस्ती करते मिलेंगे। जगह-जगह गौशालाओं के बोर्ड होंगे। यह सरकारी संरक्षण में पनपी गौ रक्षा इकाँनमी का साक्षात् मॉडल है। इसकी सफलता में एक अपेक्षाकृत कम चर्चित आयाम का भी बड़ा हाथ है- यह है, पशु और दौगर माल दुलाई से होने वाली आय पर कब्जा जमाने का।

अलवर में खेतों को काँटों की बाढ़ से घेरने का रिवाज यूँ ही नहीं चल पड़ा है। स्वयं योगी के पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान छुटे गौ वंश से अपनी फसलों को बचाने की चिंता करता मिल जायेगा। यहाँ पशुओं को पहले पशु व्यापारी गाँव-गाँव जाकर इकट्ठा करते थे; अब हिन्दू किसान स्वयं मुस्लिम व्यापारियों के हवाले कर आते हैं। बीएसएफ के आंकड़े ताईद करेंगे कि लाख कड़े कानून बनाने के बावजूद, इन्द्रेक्ष के राज्य हरियाणा से भी पशुओं का पहले की ही भाँति बांग्लादेश सीमा पर पहुँचाया जाना कम नहीं हुआ है।

'गौ इकाँनमी' और 'गौ रक्षा इकाँनमी' में स्पष्ट अंतर है। गौ इकाँनमी, जो गाय की उत्पादकता से जुड़ी है, का स्वाभाविक नियम होगा कि दूध के लिए उपयोगी गाय को बेचते हैं, मारते नहीं। गौ रक्षा इकाँनमी की सेहत के लिए गाय की उपयोगिता का उसकी उत्पादकता से सम्बन्ध जरूरी नहीं। सफल 'गौ इकाँनमी' में मेवात के पहलू खान और रकबर खान की अलवर में लिंचिंग नहीं हुयी होती; जबकि 'गौ रक्षा इकाँनमी' को सफल रखने के क्रम में दोनों कत्ल कर दिए गये।

उत्तर भारत के भाजपा शासित राज्यों में गौशालायें, गौ रक्षा इकाँनमी का केंद्र बनी हुयी हैं। प्रति पशु सरकारी अनुदान के अलावा, काला धन और धौंस से उगाही भी इनकी आय के स्रोत हैं। यह एक विशुद्ध परजीवी इकाँनमी है, जिसमें अधिकांश गौशालायें घोर आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार मिलेंगी। इनका संचालन सत्ताधारी दबंगों की मुफ्तखोरी के अंडे के रूप में हो रहा है। इनमें बड़े पैमाने पर पशुओं की मृत्यु और गुबन के आरोप आम बात हैं। जाहिर है, अकेले दम ये गौशालायें अनंत मुफ्तखोरी का स्रोत नहीं हो सकतीं। यहाँ, अवसर अनुसार, ट्रांसपोर्ट से कमाई का आयाम, गौ रक्षा इकाँनमी से एक और संजीवनी के रूप में जुड़ जाता है। अलवर-मेवात क्षेत्र को ही लें तो इसके पड़ोस में चारों तरफ कितने ही नये औद्योगिक केंद्र मिलेंगे जहाँ ढोने के लिए माल की कमी नहीं, खेती और मंडी की पारंपरिक दुलाई की मांग तो यहाँ है ही। फिलहाल, जोखिम भरी गौ वंश की दुलाई ऊंचे रेट देती है।

ताजातरीन रकबर काण्ड से हफ्ता भर पहले पड़ोसी कस्बे तावड़ू की कंपनी का माल ला रहे एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को अलवर में ही गौ-तस्कर बताकर जम कर पीटा गया था। दरअसल, तथाकथित गौ रक्षकों ने छोटे-बड़े माल ढोने के वाहन रखे हुए हैं जिनका मनचाहा किराया वसूलने के लिए वे प्रतिद्वंद्वी को मार-पीट से डराते रहते हैं। मौजूदा माहौल में, गौ तस्करों का सहज बहाना भी उन्हें मिला हुआ है। कमजोर सिंचाई और शिक्षा में पिछड़ा होने के कारण मेवात-अलवर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लिए पशु पालन के अलावा ड्राइविंग कौशल और ट्रांसपोर्ट, रोजगार का खासा जरिया रहे हैं। उन्हें गौ तस्करों के निशाने पर लेकर प्रतिद्वंद्विता से बाहर करने में आसानी रहती है। पहलू खान के कत्ल के एक साल में पशु ट्रांसपोर्ट का समीकरण यह हो चुका है कि खरीदी गाय को ले जाने में न तो रकबर अपना लाया वाहन इस्तेमाल कर सकता था और न 'गौ रक्षक' संचालित वाहन का किराया बर्दाश्त कर सकता था। वह रात के अँधेरे में पैदल गाय लेकर चला और मारा गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में लिए बिना यदि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना में गति मोदी सरकार की हाई पॉवर समिति की कवायद से माँब लिंचिंग रोकने का कोई कानून बना भी तो न वह गौ राजनीति पर और न गौ रक्षक इकाँनमी पर असरदार साबित होगा। यानी रकबर को अंतिम गौ लिंचिंग मानना अतिशय आशावादिता होगी।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताबड़तोड़ विदेश यात्राओं में सतही भाव-भंगिमाओं के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वे, रुआंडा जैसे गौ इकाँनमी वाले देश की गायों के बीच फोटो का समय निकाल सके हैं। हालाँकि, क्या वे सीखेंगे कि भारत में भी गौ इकाँनमी को धर्म का 'परजीवी' नहीं व्यवसाय का 'स्वावलंबी' आधार देने की जरूरत है?

माँब लिंचिंग तभी रुकेगी जब बीफ खाना होगा बंद : आरएसएस

जयपुर, जनज्वार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आया विवादित बयान, कहा माँब लिंचिंग तभी रुकेगी जब बीफ खाना किया जाएगा बंद।

अलवर माँब लिंचिंग में मारे गए मुस्लिम युवा अकबर खान की मौत के बाद इस बहस ने जोर पकड़ लिया है कि आखिर माँब लिंचिंग का सबसे ज्यादा शिकार मुस्लिम ही क्यों होते हैं। गौरतलब है कि अकबर खान माँब लिंचिंग मामले में पुलिस की अमानवीयता और संलिप्तता भी उजागर हुई है। मीडिया में खबर यह भी है कि पुलिस ही अकबर खान की कातिल है, ताकि गौ गुंडों के साथ उसकी संलिप्तता भी उजागर न हो जाए। अब इसी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेक्ष कुमार ने कहा है कि अगर बीफ खाना बंद हो जाएगा देश में माँब लिंचिंग रुक जाएगी। राजस्थान के अलवर में गोतस्करों के शक में हुई अकबर खान उर्फ रकबर खान की हत्या पर पूछे गए सवाल के जवाब

में इंद्रेक्ष कुमार ने यह बात कही।

गौरतलब है कि इंद्रेक्ष कुमार मुस्लिमों के बीच काम करने वाले आरएसएस के संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं। इंद्रेक्ष कुमार ने कहा, "किसी भी माँब की हिंसा, चाहे वो आपके घर की, मोहल्ले की, जाति की, पार्टी की हो, वो कभी भी अभिन्दनीय नहीं हो सकती। परंतु, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनका कोई एक धर्मस्थल बता दें जहाँ गाय का वध होता हो। ईसा मसीह धरती पर गौशाला में आए, इसलिए वहाँ मदर काऊ बोलते हैं। मक्का मदीना में गाय का वध अपराध मानते हैं। क्या हम संकल्प नहीं कर सकते कि धरा और मानवता को इस पाप से मुक्त कराएं। अगर मुक्त हो जाए तो आपकी माँब लिंचिंग का हल हो जाएगा।"

इंद्रेक्ष कुमार ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो गोहत्या की इजाजत देता हो। साथ ही वे यह दावा करने से भी नहीं चूके कि इस्लाम से लेकर ईसाई



धर्म तक में गोहत्या के लिए कोई जगह नहीं है।

इंद्रेक्ष कुमार के अलावा बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी माँब लिंचिंग की घटनाओं से उपजे आक्रोश में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम

गाय को छूने से पहले कई बार सोचें। यह इस देश के करोड़ों लोगों की भावना का प्रश्न है। गौरतलब है कि अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 20 जुलाई की देर रात कुछ लोगों ने गोतस्करों के शक में अकबर खान उर्फ रकबर खान की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिसिया असंवेदन शीलता और उसके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट के बाद घटना के 4 घंटे के बाद अस्पताल ले जाने तक उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी लापरवाही को स्वीकार कर लिया है और मामले की जांच के लिए 5 पुलिसकर्मियों को सजा भी दे दी गई है। जहाँ थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं एएसआई मोहन चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा उस समय ड्यूटी पर मौजूद तीन पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया है।

सरकार द्वारा माँब लिंचिंग के खिलाफ उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया

गया है। दावा किया जा रहा है कि ये समिति मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। वहीं माँब लिंचिंग की भारी तादाद में हो रही घटनाओं पर विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुये कहा है कि ये घटनाएँ हमेशा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही क्यों होती हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र में क्यों नहीं। जिस जगह पर ध्रुवीकरण करना होता है उस जगह ऐसी घटनाएँ होती हैं। ये राजनीति है, कोई धर्म के हित नहीं हैं।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति बनाने से क्या होगा, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पास ज्यादा अधिकार नहीं बचे हैं। वहीं टीएमसी नेता सुखेंद्रु शेखर राय ने कहा है कि जो भी समिति बनाई गई है उसके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कानून और व्यवस्था तो राज्य का मामला है।